झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

पत्रांक – 2859
दि० – 26/04/17

दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में अमृत योजना अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) की छठी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– संलग्न।

सर्वप्रथम प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग–सह–अध्यक्ष, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।

2. निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण के द्वारा उपस्थित सदस्यों को सूचित किया गया कि अमृत योजना के अंतर्गत आदित्यपुर सिवरेज प्रबंधन परियोजना की स्वीकृति शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

3. निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण के द्वारा अवगत कराया गया कि आदित्यपुर सिवरेज प्रबंधन परियोजना के अधिष्ठापन हेतु DPR तैयार करने का कार्य जुडको लि० द्वारा चयनित संस्थान M/s. TCE Ltd. के द्वारा किया गया है। इस क्रम में आदित्यपुर सिवरेज परियोजना हेतु तैयार किए गए DPR को जुडको लि० एवं तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा परीक्षणोपरांत तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. DPR तैयार करने वाली संस्था M/s. TCE Ltd. के द्वारा उपस्थित सदस्यों को क्रमवार प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आदित्यपुर सिवरेज प्रबंधन परियोजना की जानकारी दी गई।

5. वर्तमान में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) 1,74,355 है, जिससे लगभग 27 MLD सिवरेज का उत्सर्जन होता है। वर्ष 2047 तक आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 4,52,402 हो जाने की संभावना है, जिससे अनुमानतः 50 MLD सिवरेज का उत्सर्जन होगा। इस आधार पर परियोजना हेतु 50 MLD क्षमता के Sewerage Treatment Plant (STP) का अधिष्ठापन प्रस्तावित किया गया है।

6. सिवरेज प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत घरों से उत्सर्जित होने वाले सिवरेज को संग्रह करने हेतु सिवरेज नेटवर्क का अधिष्ठापन किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में लगभग 135 कि०मी० सिवरेज नेटवर्क पाईप लाईन बिछाई जाएगी। यह सिवरेज नेटवर्क प्रस्तावित Sewerage Treatment Plant (STP) से जुड़ा होगा, जहाँ संग्रहित सिवरेज को वैज्ञानिक विधि से पुनःचक्रण (Recycle) कर उपयोगी बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणो में क्रियान्वित की जा सकेगी :–

6.1 **Treatment :** प्रस्तावित परियोजना को हेतु कार्य क्षेत्र को चार प्रक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। इन चारो प्रक्षेत्रों में अलग–अलग क्षमता के STP का अधिष्ठापन किया जायेगा, जिनकी कुल क्षमता 50 MLD होगी। संग्रहित सिवरेज को इन STP में Sequential Batch Reactor (SBR) तकनीक का उपयोग कर Treatment किया जायेगा। भौगोलिक रूप से असमान भू–स्तर वाले स्थानों से सिवरेज के संग्रहण हेतु 5 अदद् Intermediate Sewerage Pumping Station (ISPS) का अधिष्ठापन किया जायेगा।

6.2 **Disposal :** Treated Waste Water को विभिन्न कार्यों यथा– बागवानी, वाहन धुलाई, निर्माण कार्य इत्यादि में पुनः उपयोग में लाया जा सकेगा। Sewerage Treatment के उपरांत बचे हुए ठोस पदार्थ को Compost के रूप में कृषि कार्यों हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।

7. उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित STP एवं ISPS निर्माण हेतु आवश्यक भूखंड आदित्यपुर नगर निगम के पास उपलब्ध है। प्रधान सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया कि आदित्यपुर नगर निगम द्वारा उपरोक्त भूखंड को भू–सम्पदा पंजी में सन्निहित करना सुनिश्चित किया जाय।

8. उक्त परियोजना हेतु तैयार किए गए DPR में निम्नलिखित अवयवों को प्रस्तावित किया गया है :–

(i) Sewer and Appurtenance Works Including pipe supports for Drain Crossing, Trenchless Excavation.

(ii) Civil, Electrical & Mechanical works for 5 Intermediate Sewerage Pumping Stations (3.11 MLD, 5.14 MLD, 5.14 MLD, 5.18 MLD & 1.15 MLD).

(iii) Civil, Electrical & Mechanical works for 4 STPs (6 MLD, 28 MLD, 13 MLD & 3 MLD).

(iv) Construction, Providing Services and Development of Administrative Block (including office, staff quarter, laboratory, etc.)

9. प्रधान सचिव के द्वारा यह निदेश दिया गया कि प्रस्तावित Sewerage Treatment Plants की सुरक्षा हेतु चहारदीवारी में 3 फुट तक Brick Work एवं इसके उपर 2 फुट तक लोहे की ग्रील तथा कंटीले तारों से घेराव करना सुनिश्चित किया जाय।

10. परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमानित राशि निम्नलिखित है :–

Capital Expenditure (CAPEX)	199.69 Crores
O&M Expenditure for 5 yrs. (OPEX)	40.86 Crores
Total	**240.55 Crores**

11. अमृत योजना के मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधानों एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए अमृत योजना के State Annual Action Plan के अनुसार सभी परियोजनाओं के अधिष्ठापन हेतु लागत राशि (CAPEX) योजना अंतर्गत स्वीकृत मद से देय होगी तथा रख–रखाव की राशि (OPEX) हेतु राज्य योजना मद से प्रावधान किया जा सकेगा।

12. समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से आदित्यपुर सिवरेज प्रबंधन परियोजना हेतु तैयार किए गए DPR एवं इसमें उल्लेखित लागत राशि को स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

बैठक सधन्यवाद संपन्न हुई।

26.4.17

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/Adityapur Sewerage-42/2017......2859 रॉंची, दिनांक 26/04/17

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/परिवहन आयुक्त, झारखण्ड/संयुक्त सचिव (योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री जे.बी. रविंदर, उप सलाहकार, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुडको लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित।

26.4.17

सरकार के प्रधान सचिव।